

प्रेस नोट थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर जनपद गोरखपुर

अवैध देशी तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बाँसगांव के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह की देखरेख में उ0नि0 अखिलेश कुमार तिवारी चौकी प्रभारी हरनही व थाना बाँसगांव पुलिस टीम द्वारा एक अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त राजू निषाद पुत्र रामअचल निवासी ग्राम हरनही थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 05.08.2022 समय 10.30 बजे निर्माणाधीन 06 लेन पुलिया हरनही चौराहा से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 251/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

राजू निषाद पुत्र रामअचल निवासी ग्राम हरनही थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

थाने पर पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 251/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 122/2022 धारा 147,323,504,506 भादवि व 3(1)द,ध SC/ST ACT. थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

निर्माणाधीन 06 लेन पुलिया हरनही चौराहा, दिनांक 05/08/2022 को समय 10.30 बजे

गिरफ्तारी में शामिल टीम

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार तिवारी चौकी प्रभारी हरनही, थाना बाँसगांव गोरखपुर
2. कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, थाना बाँसगांव गोरखपुर
3. कांस्टेबल दीपक यादव, थाना बाँसगांव गोरखपुर
4. कांस्टेबल चन्दन खरवार, थाना बाँसगांव गोरखपुर
5. कांस्टेबल संजय यादव, थाना बाँसगांव गोरखपुर
6. कांस्टेबल शुभम तिवारी, थाना बाँसागांव गोरखपुर